सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 103/2015

1–कैलाशी 2–गोपाल 3–मुन्ना 4–जगन्नाथ पुत्रगण बद्रीप्रसाद जातिगण बैश्य निवासीगण परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1–उम्मेदी 2–बाबू पिसरान कोकसिह जातिगण ब्राहमण निवासीगण परौआ तहसील सैपऊ 3–असरफी पुत्री कोकसिह पत्नी रामभरोसी जाति ब्राहमण निवासी धूलकोट धौलपुर 4–चन्द्रकला पत्नी रामविलास जाति ब्राहमण निवासी परौआ 5–ओमप्रकाश 6–कृष्णप्रकाश पिसरान रामविलास जातिगण ब्राहमण निवासीगण परौआ 7–बैजन्ती पत्नी रमुजी जाति ब्राहमण निवासी परौआ 8–संतोषी 9–बृजेश 10–कम्बोद 11–राजकुमार 12–पूरन 13–प्रमोद पिसरान रमुजी जातिगण ब्राहमण निवासीगण परौआ 14–लच्छो पुत्री रमुजी पत्नी सतीस जाति ब्राहमण निवासी लालौर तहसील व जिला मुरैना 15–रूमा पुत्री रमुजी जाति ब्राहमण निवासी परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
16–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज
एंव स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आरटीए

निर्णय दिनांक : 09/10/2019

वादीगण द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 505 रकवा 1 वीघा 02 विश्वा स्थित वाके ग्राम परौआ तहसील सैपऊ के खातेदार काश्तकार कोकसिह पुत्र भजना जाति ब्राहमण निवासी परौआ तहसील सैपऊ थे और उन्हे यह आराजी जरिये बटवारा डिक्री से प्राप्त हुई। कोकसिह ने विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 10.06.1983 को वादी के के पिता स्व0 बद्रीप्रसाद पुत्र चिरोजीलाल जाति वैश्य निवासी परौआ तहसील सैपऊ को मुवलिंक 11,000 रूपये में विक्रय कर दिया था और मौके पर अपने समान भोतिक रूप से अपने समान कब्जा करा दिया था। विक्रयपत्र तारीखी 10.06.1983 के आधार पर वादीगण के पिता स्व0 बद्रीप्रसाद के नाम नामा0 संख्या 250 खोला गया उसके आधार पर उन्हे राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। इसी प्रकार वह विवादित आराजी पर अपनी मृत्यु दिनांक तक काबिज होकर काश्त करते रहे। वादीगण के पिता स्व0 बद्रीप्रसाद की मृत्यु हो गई उनके निधन के वाद वादीगण के नाम इन्तकाल नम्बर 427 दिनांक 12.06.1989 खोला गया एंव राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम का विवादित आराजी पर अंकन किया गया तब से आज

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

तक वादीगण के नाम का विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में वादीगण विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण काविवादित आराजी से कोई सम्बध व सरोकार नही है। जमावन्दी संवत 2043 से 2046 प्रस्तुत की है। बटवारे की डिक्री के आधार पर नामान्तकरण तहसीलदार सैपऊ के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा कर दिया था जिसका फायदा उठाकर कोकसिह के ही परिवार के व्यक्ति बाबू द्वारा नामान्तकरण की अपील कर दी जिसका ज्ञान वादीगण के पिता एंव वादीगण को नही रहा। न्यायालय उपखण्डाधिक़ारी धौलपुर ने नामा0 संख्या 91 दिनांक 25.10.1973 के विरूद्व की गई अपील उनवानी बाबू बनाम ग्राम पंचायत को दिनांक 16.06.2008 को स्वीकार कर नामा0 को निरसत कर दिया गया एंव पुनः डिक्री के आधार पर पक्षकारान को सुनकर नामा0 करने के तहसीलदार सैपऊ को आदेश किये गये। तहसीलदार सैपऊ ने तत्कालीन राजस्व रिकॉर्ड को बिना देखे एंव पक्षकारान की बिना सुनवाई किये हुये पुनः मूल खातेदारान को नाम नामान्तकरण संख 91 दिनांक 24.07.2008 खोल दिया गया एंव वादीगण के नाम के इन्द्राज को हटा दिया उनके बारे कोई निर्णय नही किया गया विवादित आराजी को पुनः कोकसिह के नाम दर्ज कर दिया गया एंव कोकसिह के निधन के बाद नामान्तकरण संख्या 1139 कोकसिह के वारिसान के नाम खोला गया। वादीगण खेरागढ में रहते है इसलिये वो अपनी आराजी को विक्रय करना चाहते है इसलिये करीव 2 माह पूर्व वादीगण ने पटवारी हल्का से विवादित आराजी की जमावंन्दी की नकल मांगी तो पटवारी हल्का ने बताया कि यह खसरा नम्बर तुम्हारे नाम नही रहा है यह तो कोकसिह के नाम हो गया है कोकसिह की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम हो गया है तुम्हारे नाम नही है। पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने पर वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कराया तब वादी को ज्ञात हुआ कि तहसीलदार सैपऊ द्वारा डिक्री के आधार पर नामा0 करते समय वादीगण के इन्द्राज को लोपित करते हुये पुनः कोकिसिह के नाम का नामा0 कर दिया गया है कोकसिह की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम नामा0 कर दिया गया। विवादित आराजी पर स्वत्व अधिकार कोकसिह को डिक्री के आधार पर प्राप्त हुये है। डिक्री के अधार पर स्वत्व अधिकार प्राप्त होने के पश्चात उसे विवादित आराजी को रहन वय मुन्तकिल करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हो चुके थे। नामा0 की कार्यवाही जो ग्राम पंचायत द्वारा की गई वह एक तकनीकि गलती थी जिससे कोकसिह एंव अन्य खातेदारान के अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडा। डिक्री से प्राप्त स्वत्व अधिकारो कों कोकसिह ने वादीगण के पिता स्व0 बद्रीप्रसाद को विक्रय कर दिया एंव नामा0 भी उनके नाम हो गया । इस प्रकार विवादित आराजी से कोकसिह के अधिकार समाप्त हों गये। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सैपऊ को नामा0 करते समय इस बात काध्यान रखना चाहिये था और पुनः कोकसिह के स्थान पर वादीगण के नामा नामा0 संख्या 427 को बहाल करना चाहिये था । ऐसा ना करके तहसीलदार सैपऊ कानूनी भूल की है। कोकेसिह की मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रतिवादीगण के इन्द्राज को दुरूस्त करा कर अपने नाम इन्द्राज करा पाने के अधकारी है एंव स्वंय को खातेदार काश्तकार करा पाने के अधिकारी है। वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड से नकल प्राप्त कर प्रतिवादीगण से दिनांक 16.10.2015 को तहसील में चलकर दुरूस्ती कराने के लिये कहा तो वह इंकारी हो गये तब यह दावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

अन्त में निवेदन किया है कि विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा तदनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम को दुरूस्त किया जाकर वादीगण के नाम का इन्द्राज किया जावें एव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावें कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नही करे एंव नाही अपने ऐजेन्टो से करावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही। बहस एकपक्षीय सुनी गई वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में प्रमाण प्रति विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2003 एंव प्रमाणित प्रतिलिपि जमावन्दी संवत 2043 से 46 वाके ग्रम परौआ इन्तकाल नम्बर 427 प्रमाणित प्रति जमावन्दी संवत 2063 से 66 खाता संख्या 35 वाके ग्रम परौआ, प्रमाणि प्रति नामा0 संख्या 91 वाके ग्राम परौआ प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय वहस सुनी एंव पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह सिद्व हुआ है कि दिनांक 15.09.2008 को तहसीलदार द्वारा डिक्री के आधार पर नामा0 संख्या 91 को तस्दीक किया गया है उस समय विवादित आराजी खसरा नम्बर 505 रकवा 1 वीधा 2 विश्वा वाके ग्रम परौआ के खातेदार काश्तकार वादीगण थे इसलिये उक्त खसरा नम्बर के नामा0 को तस्दीक करते समय वादीगण के नाम का ही इन्द्राज करना चाहिये था। ऐसा नही करके तहसीलदार सैपऊ ने गलती की हैं । अतः हम दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण को डिक्री करना एंव दुरूस्ती करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण को विवादित आराजी के खसरा नम्बर 505 रकवा 1 वीधा 2 विश्वा वाके ग्रम परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव तदनुसार ही वर्तमान राजसव रिकॉर्ड में दूरूस्ती कर वादीगण के नाम का इन्द्राज किया जावें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

हरीसिह लम्बोरा
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्डाधिकारी सैपऊ
व इजलास –हरीसिह लम्बोरा आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या– 103/2015

1–कैलाशी 2–गोपाल 3–मुन्ना 4–जगन्नाथ पुत्रगण बद्रीप्रसाद जातिगण बैश्य निवासीगण परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1–उम्मेदी 2–बाबू पिसरान कोकसिह जातिगण ब्राहमण निवासीगण परौआ तहसील सैपऊ 3–असरफी पुत्री कोकसिह पत्नी रामभरोसी जाति ब्राहमण निवासी धूलकोट धौलपुर 4–चन्द्रकला पत्नी रामविलास जाति ब्राहमण निवासी परौआ 5–ओमप्रकाश 6–कृष्णप्रकाश पिसरान रामविलास जातिगण ब्राहमण निवासीगण परौआ 7–बैजन्ती पत्नी रमुजी जाति ब्राहमण निवासी परौआ 8–संतोषी 9–बृजेश 10–कम्बोद 11–राजकुमार 12–पूरन 13–प्रमोद पिसरान रमुजी जातिगण ब्राहमण निवासीगण परौआ 14–लच्छो पुत्री रमुजी पत्नी सतीस जाति ब्राहमण निवासी लालौर तहसील व जिला मुरैना 15–रूमा पुत्री रमुजी जाति ब्राहमण निवासी परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
16–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज
एंव स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आरटीए

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरीसिह लम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री हरवीरसिह एडवोकेट एंव मिनजानिव मुद्दायलह श्री ..... एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण को विवादित आराजी के खसरा नम्बर 505 रकवा 1 वीधा 2 विश्वा वाके ग्रम परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव तदनुसार ही वर्तमान राजसव रिकॉर्ड में दूरूस्ती कर वादीगण के नाम का इन्द्राज किया जावें ।

वशव्द मेरे एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 03.10.2019 को जारी की गई।

(हरीसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ